न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 65 / 2022

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री शिवनारायण बजाज पुत्र श्री घनश्याम बजाज, मैसर्स सुनील एजेन्सी, राम मन्दिर के पास, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. श्री सुनील बजाज, मैसर्स सुनील एजेन्सी, राम मन्दिर के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
3. श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दशरथ सिंह, मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)एवं धारा 51, 52 के तहत

अभिभाषक : अप्रार्थीगण की ओर से श्री नरेश कुमार अरोड़ा, श्री सज्जन कटारिया

–: आदेश :–

दिनांक–10.09.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) घी (सूरज ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.10.2021 को 04:30 एम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सुनील एजेन्सी, राम मन्दिर के पास, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री शिव नारायण बजाज मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पास मौके पर उपलब्ध था।खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय घी (सूरज ब्राण्ड) के 16 सील्ड पैकेट (प्रत्येक 500ग्राम) आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त घी (सूरज ब्राण्ड) में मिलावट व लेबल में कमी का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु घी (सूरज ब्राण्ड) 500 ग्राम के 04 सील्ड पैकेट580/– रूपयें श्री शिव नारायण बजाज को नगद देकर गवाह श्री महेश कुमार शर्मा के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री शिव नारायण बजाज को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा घी (सूरज ब्राण्ड) को विक्रेता के सामने 04 साफ खाली प्लास्टिक की बोतल में भरकर (प्रत्येक में 500 ग्राम) प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–2772 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानकप्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/10372दिनांक 12.11.2021के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1213/एक्ट/2021/1214दिनांक 25.10.2021के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी (सूरज ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय जाँच हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 11.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरेश कुमार अरोड़ा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थीगण ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिस पर मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर का अभिमत/टिप्पणी प्राप्त की गयी, जिसमें उनके द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर बिन्दुवार टिप्पणी कर अवगत कराया कि जाँच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ही जारी की गयी है। तत्पश्चात वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर पर प्रार्थी पक्ष द्वारा दिये गये अभिमत/जबाब विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, अतः अभियोजन गवाह से साक्ष्य हेतु जिरह की अनुमति दी जावे।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से वकील अप्रार्थी ने प्रस्तुत होकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया एवं आगामी तारीख पेशी पर पुनः जवाब प्रस्तुत करने का निवेदन किया। अप्रर्थीगण द्वारा पुनः जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद, अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर एवं मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

लिखित प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट, अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अंकित किया गया है कि फैटी एसिड प्रोफाइल, फैटी एसिड प्रोफाइल ऑफ घी से मैच नहीं हो रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि घी के सैम्पल को किस आधार पर मिस ब्राण्ड माना गया है।

अप्रार्थीगण के प्रत्युत्तर के संदर्भ में अभिमत/टिप्पणी चाहे जाने पर मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 से अवगत कराया है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने के साथ प्रेषित किये गये फार्म 6 में फैटी एसिड प्रोफाईल की जाँच हेतु निवेदन किया गया था। खाद्य सुरक्षा मानक 2011 के नियम 2.1.8 के अनुसार घी में मिल्क फैट के अलावा किसी अन्य बाहरी वसा सम्मिलित नहीं होना चाहिए। निर्धारित मानक के अन्तर्गत नमूने हेतु प्राप्त घी की फैटी एसिड की जाँच करने पर उसमे बाहरी वसा (फॉरिन फैट) पाये जाने के कारण ही नमूना हेतु प्राप्त घी को अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) घोषित किया गया है। इसी प्रकार हेतु प्राप्त धी का नमूना कम्पनी पैक्ड 500 मिली की मूल पैकिंग में था जिस पर खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग व लेबलिंग) 2011 के मानक संख्या 2.2.2(10) के अनुसार लेबल पर "बेस्ट बिफोर" की सूचना कैपिटल लैटर्स में अंकित होनी चाहिए जबकि नमूने के लेबल पर यह सूचनाएँ, स्माल लैटर्स में अंकित होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(ii) के तहत मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) घोषित किया गया है।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद व जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया घी (सूरज ब्राण्ड), अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया घी (सूरज ब्राण्ड), अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड)खाद्य पदार्थ पाये जाने पर तथा धारा 52 में मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगणको जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण परउक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रु **20,000/- (बीस हजार)** तथा अधिनियम की धारा 52के अन्तर्गत रु **5,000/- (पाँच हजार)**कुल रू. **25,000/- (पच्चीस हजार)** की शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नामई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 10.09.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/4786-4791 दिनांक : 26/03/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री शिवनारायण बजाज पुत्र श्री घनश्याम बजाज, मैसर्स सुनील एजेन्सी, राम मन्दिर के पास, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. श्री सुनील बजाज, मैसर्स सुनील एजेन्सी, राम मन्दिर के पास, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
6. श्री मनोहर सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दशरथ सिंह, मैसर्स राजपुरोहित डेयरी, लाडपुरा रोड, घूघरा, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर